प्रकरण सं0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

15.3.19 वादीया द्वारा स्वयं उपस्थित होकर मूल वाद में प्रार्थना पत्र वाद को आपसी राजीनामे पेशी में लिया जाकर वाद नोटप्रेस किये जाने बाबत निवेदन करने पर मूल वाद वादीया द्वारा नोटप्रेस किये जाने पर खारिज किया जा चुका है अतः मूल वाद के खारीज होने पर इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः पत्रावली इसी स्टेज पर खारिज की जाती है पत्रावली फैसला शुमार होकर नस्ती से कम की जाकर संलग्न मूल वाद रहे।

(मुकेश बारठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर